04-05-2023

राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण- 2021-22

समाचार पत्रों में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल, 2023 को "राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22: नीति निर्माताओं के लिए सारांश" जारी किया।

त्वरित मुद्दा?

- डॉ. चंद्रशेखर ने नीति निर्माताओं के लिए सर्वेक्षण के परिणामों को समाहित करने वाली सारांश रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि "राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (एनएमआईएस) 2021-22 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा किया गया था क्योंकि भारत सरकार ने भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने को प्राथमिकता दी है।"

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सर्वेक्षण के अनुसार, कर्नाटक सबसे "अभिनव(Innovative)" राज्य है, इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव (DNH&DD), तेलंगाना और तमिलनाडु हैं।
- तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्रमशः 46.18%, 39.10% और 31.90% पर अभिनव फर्मों का उच्चतम हिस्सा था।
- ओडिशा, बिहार और झारखंड ने क्रमशः 12.78%, 13.47% और 13.71% पर ऐसी फर्मों की सबसे कम हिस्सेदारी की सूचना दी।

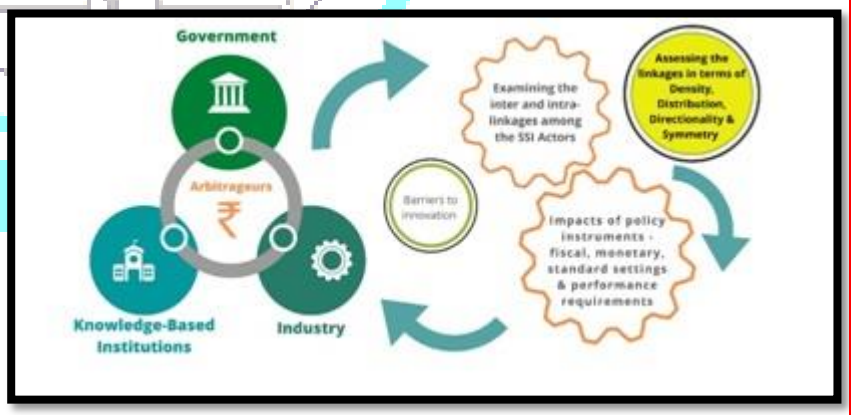

- वर्ष 2011 में पहला राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण जारी किया गया था
- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण फर्मों का नवोन्मेषी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है।
- सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि सबसे अधिक "नवाचार के लिए बाधाएं" आंतरिक धन की कमी, उच्च नवाचार लागत और बाहरी स्रोतों से वित्तपोषण की कमी है।
- फर्म-स्तरीय सर्वेक्षण में , फर्मों द्वारा किए गए नवाचारों और अभिनव उपायों के प्रकार से संबंधित डेटा पर ध्यान दिया गया है।
- इस सर्वेक्षण में एक फर्म में नवाचार गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों को रिकॉर्ड करने के अलावा, नवाचार की प्रक्रिया, वित्त तक पहुंच, संसाधनों और नवाचार के लिए जानकारी आदि को शामिल किया गया हैं।

- नवाचार सर्वेक्षण की क्षेत्रीय प्रणाली के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सिस्टम और फर्मों में इनोवेशन हासिल करने में इसकी भूमिका को मापा गया।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनिंदा 5 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों, नवाचार की बाधाओं और नीतिगत उपकरणों के अभिसरण या विचलन को मापता है।
- यह मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम, विशेष रूप से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में मदद करेगा।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

तलाक के मामले में निर्धारित अनिवार्य अवधि की समाप्ति

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया है कि किसी भी पति-पत्नी को बिना फैमिली कोर्ट गए सीधे तलाक मंजूर किया जा सकता है।

त्वरित मुद्दा?

- दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वर्ष 2014 में दायर किए गए एक मामले से जुड़ा है। शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले में दोनों पक्षों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से तलाक मांगा था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- खंडपीठ ने कहा कि ऐसा तभी किया जा सकता है, जब पति-पत्नी के बीच सुलह की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हों और उनके बीच रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई हो।
- खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामले में तलाक के इच्छुक दंपत्ति को अब 6 महीने का इंतजार नहीं करना होगा।
- संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हमने माना है कि रिश्तों में सुधार की गुंजाइश खत्म हो चुके और विवाह टूट चुके मामलों में यह अदालत किसी भी विवाह को भंग कर सकता है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा।"
- **तलाक लेने के आधार क्या हो सकते हैं -**
  - पति या पत्नी में से कोई भी शादी के बाद अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता हो।
  - शादी के बाद अपने साथी के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता का बर्ताव करता हो।
  - बिना किसी ठोस कारण के ही दो साल या उससे

अन्य प्रमुख तथ्य?

संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

- अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय "ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है और इस तरह पारित कोई भी डिक्री या ऐसा किया गया आदेश पूरे भारत में लागू होगा।

लंबे समय से अलग रह रहे हों।

- दोनों पक्षों में से कोई एक हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता हो।
- दोनों में से कोई एक पक्ष मानसिक रूप से बीमार हो और उसके साथ वैवाहिक जीवन जीना संभव न हो।

- अगर दोनों में से कोई एक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो।
  - पति या पत्नी में से कोई एक संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।
  - अगर पति या पत्नी में से कोई संन्यास ले ले।

- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B "आपसी सहमति से तलाक" प्रदान करती है।
- तलाक के लिए दोनों पक्षों को एक साथ जिला अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए "इस आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और यह कि वे परस्पर सहमत हैं कि उन्हें विवाह भंग कर देना चाहिए"।

IPC की धारा 124A (राजद्रोह) की "पुन: परीक्षा की प्रक्रिया" शुरू कर दी है

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह) की "पुन: परीक्षा की प्रक्रिया" शुरू कर दी है और इस संबंध में परामर्श अपने "अंतिम चरण" में हैं।

त्वरित मुद्दा?

- मई 2022 में न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में देश भर में धारा 124A के तहत लंबित आपराधिक मुकदमों और न्यायालयी कार्यवाही को रोकते हुए धारा 124A के उपयोग को निलंबित कर दिया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्त्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
- इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड सहिता (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।

- धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किये गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जब उन्होंने अपराध से निपटने के लिये एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की थी।
- वर्तमान में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A:-यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा अथवा अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
- विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
- बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तविक इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।
- भारत का संविधान अपने नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- हालाँकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिस्थितियों में इसे प्रतिबंधित कर सकती है ताकि इसका दुरुपयोग न हो।इन प्रतिबंधों को उचित माना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित किया गया है।
- राजद्रोह कानून सर कार को राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- वर्ष 1950 की शुरुआत में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "सरकार की आलोचना उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजित करती है, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना एक न्यायोचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिये जैसे कि सुरक्षा को कमज़ोर करना या राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना।"
- इसके बाद दो उच्च न्यायालयों- तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य (1951) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा राम नंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने IPC की धारा 124A घोषित की जो मुख्य रूप से देश में असंतोष को दबाने के लिये औपनिवेशिक आकाओं के लिये एक उपकरण था एवं प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) मामले में देशद्रोह पर फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के पहले के फैसलों को खारिज कर दिया और IPC की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालाँकि न्यायालय ने इसके दुरुपयोग की गुंज़ाइश को सीमित करने का प्रयास किया।

- औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का

इस्तेमाल किया।

- लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
- संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी क्योंकि सदस्यों को लगा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देगा।
- उन्होंने तर्क दिया कि राजद्रोह कानून को विरोध करने के लोगों के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये एक हथियार में बदल दिया जा सकता है।
- मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण भारत को एक निर्वाचित निरंकुशता के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE